10/12/24 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। स्टेट की ओर से तहसीलदार शिवगंज की मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें अवगत कराया है कि वादग्रस्त आराजी कुकडीखेडा के खसरा नं0 40/4 रकबा 0.4856 हैक्टयर भूमि की तरमीम पुराने नक्शे लटठा अनुसार ही वर्तमान ऑनलाईन नक्शे में दर्ज है एवं उसी अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। मौका रिपोर्ट पर प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी।

हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेज व तहसीलदार शिवगंज की रिपोर्ट व विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि तहसीलदार शिवगंज की रिपोर्ट के अनुसार भूमि की तरमीम पुराने नक्शे लटठा अनुसार ही वर्तमान ऑनलाईन नक्शे में दर्ज है एवं उसी अनुसार प्रार्थी मौके पर काबिज काश्त है। जिससे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 भूराजस्व अधिनियम के तहत मेंटेनेबल नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। आदेश खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नं0 से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.09 17:26:49 IST
Reason: SelfAttested